

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या— 11, लखनऊ
पीठासीन अधिकारी— (सुरेश चन्द्र VI), (उच्चतर न्यायिक सेवा)

UPLK010125362022



First Bail Application/7292/2022

अजय कुमार द्विवेदी, आयु लगभग 23 वर्ष, पुत्र स्व० विजय द्विवेदी, निवासी—सीतापुर रोड बाइपास, एस—2436, आश्रयहीन कालोनी, शनि देव मन्दिर के सामने थाना दुबग्गा, जनपद लखनऊ।

..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ.प्र. राज्य

.....अभियोगी

मु.अ.सं. 148/2022

अं.धारा—454,380,411,414 भा०दं०सं०

थाना—पारा, जनपद—लखनऊ

दिनांक—19.09.2022

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त अजय कुमार द्विवेदी की ओर से मु.अ.सं. 148/2022 अंतर्गत धारा—454, 380, 411, 414 भा०दं०सं० थाना—पारा, जनपद—लखनऊ के प्रकरण में धारा 439 दं०प्र०सं० के अंतर्गत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर उपरोक्त प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र पर बल न देने का कथन किया गया तथा उक्त प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र के पार्श्व भाग पर Not Press का अंकन करते हुए उक्त प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र को Not Press या खारिज किये जाने की याचना की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त अजय कुमार द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 7292/2022, मु.अ.सं. 148/2022, अंतर्गत धारा— 454, 380, 411, 414 भा०दं०सं०, थाना—पारा, जनपद—लखनऊ, को Not Press के आधार पर खारिज किया जाता है।

दिनांक—19.09.2022

(सुरेश चन्द्र VI),
 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
 कक्ष संख्या—11, लखनऊ।